न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 16/2011

सायलान :- बनाम गै0सा0 :-

1. इन्द्रा पत्नि श्रवणराम
2. हंसराज पुत्र श्रवणराम
3. राकेश पुत्र श्रवणराम
4. प्रवीन पुत्र श्रवणराम
5. विनोद पुत्र श्रवणराम
6. दशरथ पुत्र श्रवणराम
7. पूजा पुत्री श्रवणराम
8. सुमन पुत्री श्रवणराम

(सायलान सं. 2 से 8 नाबालिग)
जातियान–बावरी,निवासी–लितरिया
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

1. शंकरलाल पुत्र मंगीयाराम
2. ढगलाराम पुत्र शंकरराम
3. छेलाराम पुत्र शंकरराम
4. श्रवणराम पुत्र शंकरराम
   जातियान–बावरी,निवासी–लितरिया
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली
5. उप पंजीयन अधिकारी एवं
   तहसीलदार जैतारण
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू: 28/01/2011

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, सायलान।
2. श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, अधिवक्ता, गै0सा0।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः 01/07/2015

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा–लितरिया, पटवार हल्का–काणेचा, तहसील–जैतारण में सायलान व गैरसायलान की शामलाती की मय कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 48 व 49 कुल रकबा 6–10 बीघा की आई हुई हैं, जो एक पैतृक सम्पति हैं। वादीया के दादा ससुर मंगीयाराम के नाम से खातेदारी की थी, जो फौतेदगी के बाद म्यूटेशन सायलान के ससुर शंकरलाल के नाम से इन्द्राज की गई। नकल जमाबंदी की फौतेदगी प्रार्थनापत्र के साथ पेश की है। उक्त जमीन खनन 48 व 49 कुल रकबा 6.10 बीघा है। सायला एक गरीब एवं अनुसूचित जाति की महिला है तथा उनके छोटे–छोटे बच्चे हैं। कुछ बच्चे शारिरिक रूप से अपंग हैं। वादीया का इस जमीन के अलावा खाने–पीने एवं बच्चों की परवरिश करने का अन्य कोई जरिया नही हैं। वादीया इसी जमीन के अपने हिस्से में कच्चा झोंपडा बना कर रहवास कर रही है वादीया के पूर्व में पड़ौस जीवण सरगरा का खेत पश्चिम बुधाराम बावरी का खेत उतर में छेलाराम बावरी, दक्षिण में भंवरलाल पुत्र राजूराम बावरी के खेत आये हुए हैं। सायलान ने अपने हिसे की जमीन में बोरड़ियों के पौधे रोपे है तथा उपजाऊ बनाया है। उक्त जमीन बाबत सायलान की वंशावली अनुसार मूल पुरूष मंगीयाराम पुत्र रतनाराम (फौत) का पुत्र शंकरलाल हुआ तथा शंकरलाल के पुत्रगण ढगलाराम छैलाराम व श्रवणराम हुए। श्रवणराम की पत्नि इन्द्रा, पुत्रगण हंसराज, राकेश, प्रवीन, विनोद, दशरथ एवं पुत्रियाँ पूजा व सुमन हुई। सायलान के ससुर शंकर राम ने अपने पुत्रों को सिखाकर एवं बहला फुसलाकर चाईना क्ले के खनन हेतु इस जमीन को महंगे भाव में लोभ से अन्य पक्ष को बेचान कर दी है जिसका सायला को बिना बताये अंधेरे में रखकर सायला का हक मारा जा रहा है। गैरसायलान संख्या उपपंजीयन अधिकारी जो जमीन का म्यूटेशन इत्यादि न करावें इसलिए पक्षकार बनाया गया है। गैर सायलान जानबूझकर सायलान व उनके बच्चों का हक मारने एंव

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

जमीन पर जबरन कब्जा कर बेदखल करने पर उतारू है तथा हर रोज सायलान को ऐलानिया भरी धमकियां देते हैं। जबकि सायला अपनी जमीन पर रहवास कर रही हैं। एवं बच्चों का पालन-पोषण कर रही है। यदि गैरसायलान द्वारा सायला को बेदखल किया गया तो जान-माल की पूरी जोखिम होगी एवं सायला अपनी पैतृक सम्पति से हटने को किसी भी सूरत में तैयार होने की स्थिति में नही होगी। गैरसायलान के नौकर-चाकर हाली एजेन्ट सायला को उनके कब्जे काश्त की जमीन से मेहरूम करने की धमकियां देते हैं। यदि सायला को रहवासी मकान एवं मात्र एक ही खेत का आधार होने से यदि सायला को बेदखल कर दिया गया, तो सायला के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी एवं सायलान को अपने अधिकारों से भी महरूम रहना पडेगा। सायलान के छोटे-छोटे अपंग बच्चे भी हैं। इस जगीन के अलावा खाने-पीने का कोई रोजगार नही हैं। सायला की पैतृक सम्पति होने से कानूनी अधिकार है कि उस जमीन का अपने हिस्से अनुसार काश्त कर जो कर रही हैं। पैतृक सम्पति का अधिकार होने से सायला का मामला बहुत प्रथम दृष्टया बहुत ही मजबूत है। सायलान को गैरसायलान द्वारा बेदखल कर देने से सायलान व उनके बच्चों को भूखे मरने की नौबत आ जायेगी एवं भारी परेशानी होगी कानूनी पैचिदगियां बढेगी। इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में है। गैरसायलान संख्या में ज्यादा होने एव प्रभावशाली होने तथा झगडालू प्रवृति के होने से सायलान का हक मार दिया गया, तो सायला को भारी क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में सम्भव नही हो पायेगी। इसलिए क्षतिपूर्ति का बिन्दु भी सायला के पक्ष में है।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-काणेचा में पेश हुई। वकील गै0सा0 जबाब पेश करने का समय चाहते हैं। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। गै0सा0 के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28/01/2011 को जारी की गई हैं। सायलान का नोशनल शेयर का कोई बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण करने से एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै0सा0 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा-लितरिया, पटवार हल्का-काणेचा, तहसील-जैतारण में सायलान व गैरसायलान की शामलाती की मय कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 48 व 49 कुल रकबा 6-10 बीघा में सायलान का नोशनल शेयर का कोई बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण करने से एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै0सा0 को जरिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश के दिनांक 28/01/2011 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 01/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-काणेचा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner